उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।

फौजदारी अपील सं- 142/2021

जॉनी .....अपीलकर्ता

बनाम्

उत्तराखण्ड राज्य .....विपक्षी

उपस्थितः

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री भरत सिंह।
राज्य की ओर से ए.जी.ए.श्री ललित मिगलानी।

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठानी, जे.

वर्तमान अपील एफ.टी.सी./अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, हरिद्वार, जिला हरिद्वार के न्यायालय द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 95/2017 राज्य बनाम जॉनी (संक्षेप में, "मामला") में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.01.2020/09.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 363 ए के तहत आरोप से दोषमुक्त किया गया है। उसे धारा 363, 376 भा.द.सं. और धारा 3(**a**)/4, 5(**j**)(**ii**)/6 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षिप्त रूप में, "पॉक्सो अधिनियम") के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:-

> "(**i**) भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत, तीन साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास तथा 20,000/- रुपये के जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण

कारावास भोगना होगा।

(ii) भा.द.सं. की धारा 376 के अंतर्गत, दस साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

(iii) पॉक्सो अधिनियम की धारा 3**(a)**/4 के अंतर्गत दस साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 20,000/- रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

(iv) पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (जे) **(ii)**/6 के अंतर्गत दस साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना । जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

पीड़िता की उम्र 16 साल है। वह 13.06.2016 को काम के सिलसिले में घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। पीड़िता घर से 20 हजार रुपये नकद और कुछ जेवरात भी ले गई थी। तलाशी ली गई तो पता चला कि वास्तव में पीड़िता को आखिरी बार अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। अपीलकर्ता के कुछ रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया था। पीड़िता के बरामद नहीं होने पर दिनांक 15.06.2016 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी, लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। इसके बाद दिनांक 28.09.2016 को, पीड़िता के पिता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3)(संक्षेप में, "संहिता") के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । विवेचना के आदेश के बाद, भा.द.सं. की धारा 363, 366ए के अंतर्गत अपीलकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा मुकदमा अपराध सं. 239/2016 दर्ज किया गया ।

3. दिनांक 04.06.2017 को अपीलकर्ता पीड़िता के साथ थाना सिडकुल, जिला हरिद्वार पहुंचा। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण दिनांक

04.06.2017 को दोपहर 1:45 बजे किया गया। अपनी चिकित्सीय जांच के समय, पीड़िता ने डॉक्टर को बताया कि वह अपीलकर्ता के साथ भाग गई थी और गाजियाबाद चली गई थी। उन्होंने शादी की और पति-पत्नी के रूप में रहे। पीड़िता अपने परिवार के संपर्क में थी। डॉक्टर ने पीड़िता को 24 सप्ताह की गर्भवती भी पाया।

4. दिनांक 05.06.2017 को संहिता की धारा 164 के अंतर्गत भी पीड़िता का परीक्षण किया गया । उसके अनुसार, उसने अपीलकर्ता से दिनांक 10.05.2016 को विवाह किया। अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने अपीलकर्ता से अपनी मर्जी से शादी की थी। उसे अपने पति के बच्चे को जन्म देना था। उसने बताया कि वह आठ माह की गर्भवती थी। धारा 164 के तहत अपने बयान में पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि वह अपनी ससुराल जाना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पति, अपीलकर्ता को रिहा किया जा सकता है। उसके अनुसार, उसने दो साल तक एक कंपनी में काम किया था।

5. विवेचना अधिकारी ("आईओ") ने स्कूल से उम्र से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 25.06.2001 थी, जिसका अर्थ है कि जब वह घर से निकली थी, तब उसने सिर्फ 16 साल पूरे किए थे। विवेचना के उपरांत, अपीलकर्ता के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 363, 366ए, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 5(जे) (**ii**)/6 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

6. दिनांक 10.10.2017 को अपीलार्थी के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 363, 366ए, 376, 3ए/4 एवं 5(जे) (**ii**)/6 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। जिस पर, उसने इंकार किया और विचारण की मांग की। मामले को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों पी.डब्ल्यू.1- पीड़िता, पी.डब्ल्यू.2- पीड़िता का पिता, पी.डब्ल्यू.3- पीड़िता का भाई, पी.डब्ल्यू.4- पीड़िता की मां, पी.डब्ल्यू.5- श्रीमती पुष्पा प्रिंसिपल, पी.डब्ल्यू.6- सब-इंस्पेक्टर सुभाष चंद और पी.डब्ल्यू.7- डॉ. नीलिमा सिंह का परीक्षण कराया गया।

7. अपीलकर्ता का संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया। उसके अनुसार, उसकी पीड़िता से पहले से ही सगाई हो चुकी

थी। इसलिए उसने और पीड़िता ने शादी कर ली और पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। पीड़िता ने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी। उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चा रह रहे हैं। अगर वह जेल में रहता है, तो उसकी पत्नी (पीड़िता) और बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

8. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, जैसा कि पहले भी कहा गया है। इससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पीड़िता की जन्मतिथि सिद्ध नहीं हुई है। वह बालिग है और वर्ष 1996 में पैदा हुई थी। उसने स्वयं की इच्छा से अपीलकर्ता से शादी की। इस प्रकार कोई मामला नहीं बनता है तथा अपीलकर्ता सभी आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है।

11. राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि पीड़िता नाबालिग है। स्कूल का रिकॉर्ड इसे सिद्ध करता है। उसकी सहमति नगण्य है। वह अपीलकर्ता के साथ एक कंपनी में काम करती थी। मामला सिद्ध हो चुका है तथा हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

12. पी.डब्ल्यू.1 पीड़िता है। 29.11.2017 को दर्ज कराए गए बयान में उसने अपनी उम्र 21 वर्ष बताई। उसके अनुसार, घटना के दिन उसकी उम्र साढ़े उन्नीस वर्ष थी। वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी और एक फैक्ट्री में काम करती थी। 13.06.2016 को उसका अपनी मां से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसलिए घर में बिना किसी को बताए वह ट्रेन से दिल्ली चली गई। वहां वह फैक्ट्री में काम करने वाली अपनी सहेली से मिलने गई। वहां उसे एक लड़के से प्यार हो गया, उससे शादी कर ली और गर्भवती हो गई। बाद में उसे पता चला कि लड़के के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इसलिए वह थाने चली गई। पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए अपने बयान के बारे में भी बताया।

उसने अपने पूर्व में दिये गये बयान **Ex. A**1 को साबित किया। वास्तव में उसे बयान पढ़कर सुनाये गये। उसने कहा है कि उसने पुलिस के कहने पर बयान दिये थे।

13. दिलचस्प बात यह है कि पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता ने अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने कहा है कि यद्यपि वह अपीलकर्ता को जानती है, लेकिन उसने उसे किसी भी तरह से नहीं बहकाया । उसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह की गई। अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता से जिरह में, पीड़िता द्वारा घटना के समय अपनी उम्र को साढ़े उन्नीस वर्ष बताया गया। उसके अनुसार, प्रवेश के समय उसके पिता ने शिक्षक के कहने पर उसकी उम्र कम कर दी थी। पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता के अनुसार उसका जन्म वर्ष 1996 में हुआ था।

14. पी.डब्ल्यू.2, पीड़िता का पिता है। बयान की पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2001 है। उनके अनुसार दिनांक 13.06.2016 को पीड़िता घर से निकली, लेकिन वापस नहीं आई। वह नगदी और जेवरात लेकर चली गई थी। उसे अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। उक्त गवाह ने संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत अपने प्रार्थना पत्र को साबित किया है, जो कि **Ex. A**2 है।

15. पी.डब्ल्यू.3, पीड़िता का भाई है। उसके अनुसार, पीड़िता को अपीलकर्ता ने बहकाया था, जो किराएदार के रूप में उनका पड़ोसी था। उसके अनुसार, पीड़िता की उम्र तब करीब 15 से 16 साल थी।

16. पी.डब्ल्यू.4, पीड़िता की माँ है। उसके अनुसार पीड़िता का जन्म वर्ष 2001 में हुआ था। उसे पीड़िता के जन्म का महीना और तारीख याद नहीं थी।

17. पी.डब्ल्यू.5, श्रीमती पुष्पा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उसने पीड़िता के कुछ स्कूल रिकॉर्ड को साबित किया है, जिसमें एडमिशन फॉर्म, स्कॉलर्स रजिस्टर और प्रमाण पत्र शामिल है, जिसमें जन्म तिथि 25.06.2001 दर्ज है। उक्त गवाह के अनुसार पीड़िता ने सीधे चौथी कक्षा में प्रवेश ले लिया था। उक्त गवाह के अनुसार विशेष

योग्यता वाले विद्यार्थी को पाँचवीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है।

18. पी.डब्ल्यू.6, सब इंस्पेक्टर, सुभाष चंद्र ने विवेचना की। उन्होंने साइट प्लान, गिरफ्तारी मैमो और अन्य दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने चिक एफ.आई.आर. व अन्य दस्तावेज भी साबित किए। उन्होंने आरोप पत्र समेत कई अन्य दस्तावेज साबित किए।

19. पी.डब्ल्यू.7, डॉ. नीलिमा सिंह द्वारा 04.06.2017 को पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। उन्होने चिकित्सकीय परीक्षण के समय पीड़िता के दिए गए बयान को दोहराया है, जिसे न्यायालय में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। पीड़ीता के बयानों को पुनः सुनने पर कहा जा सकता है कि उसकी चिकित्सकीय परीक्षण के समय, पीड़िता ने डॉक्टर से कहा था कि वह अपीलकर्ता जॉनी के साथ भाग गई थी; उससे विवाह किया, पति-पत्नी के रूप में उसके साथ रहे और वह उससे गर्भवती हुई।

20. पी.डब्ल्यू.7, डॉक्टर नीलिमा सिंह ने यह भी पाया है कि 06.06.2017 को मृतका 24 सप्ताह की गर्भवती थी। पी.डब्ल्यू.7, डॉक्टर नीलिमा सिंह ने यह भी कहा है कि पीड़िता के माता-पिता द्वारा बताए अनुसार पीड़िता की उम्र उनके द्वारा 19 वर्ष दर्ज की गई थी।

21. यह उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है। एफ.आई.आर. में यह दर्ज है कि पीड़िता को अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। पी.डब्ल्यू.3, पीड़िता के भाई ने कहा है कि अपीलकर्ता उनका पड़ोसी था, जिसने पीड़िता को बहकाया था। पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता द्वारा संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों को साबित किया गया है। संहिता की धारा 164 के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने कहा है कि वह खुद अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल हो गई और 10.05.2016 को उससे शादी कर ली। उसने कहा है कि अपीलकर्ता जॉनी ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तब वह आठ माह की गर्भवती थी। उसने उस समय बताया कि वह अपनी ससुराल जाना चाहती है। न्यायालय में पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता ने अपने संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दिये गये बयानों की पुष्टि नहीं की है।

22. कहने की जरूरत नहीं है कि संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

23. आर. शाजी बनाम केरल राज्य (2013)14 **SCC** 266 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि **"the statement given under Section 164 may be used for the purposes of corroboration and contradiction."**

24. पी.डब्ल्यू.2 पीड़िता के पिता और पी.डब्ल्यू.3 उसके भाई ने कहा है कि अपीलकर्ता को पीड़िता के साथ देखा गया था। अपीलकर्ता उनका पड़ोसी था। पी.डब्ल्यू.4 पीड़िता की मां ने भी कहा है कि अपीलकर्ता ने ही पीड़िता को बहकाया था। पी.डब्ल्यू.1 पीड़िता ने कथन किया है कि वह एक लड़के से प्रेम करती थी और वह उससे गर्भवती हुई। पी.डब्ल्यू.2 पीड़िता के पिता, पी.डब्ल्यू.3 पीड़िता के भाई और पी.डब्ल्यू. 4 पीड़िता की मां के बयानों से साबित होता है कि वास्तव में पीड़िता अपीलकर्ता के साथ गई थी। वह अपीलकर्ता के साथ दिनांक 04.06.2017 को वापस पुलिस थाना, सिडकुल, हरिद्वार आई। पी.डब्ल्यू.1, पीड़िता ने कहा है कि वह खुद 04.06.2017 को पुलिस थाने आई थी। इसलिए, यह साबित है कि पीड़िता अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ गई थी और वह लगभग एक साल तक उसके साथ रही।

25. प्रश्न यह है कि जब पीड़िता 13.06.2016 को अपना घर छोड़ कर चली गई थी तब अपीलकर्ता की उम्र क्या थी? क्या उसकी उम्र 18 साल से कम थी?

26. राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि वास्तव में, पीड़िता जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां उसकी जन्मतिथि 25.06.2001 दर्ज है।

27. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षिप्त में, "जेजे अधिनियम") उम्र के निर्धारण तथा उसकी उपधारणा के लिए प्रावधानित करता है। इसकी धारा 94 प्रावधानित करती है:-

"94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणः-

(1). जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति उपसंजाति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिपुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा ।

(2). यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा-

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण-पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में,

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र;

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा :

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी ।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए

व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।"

28. अपराधी की उम्र का निर्धारण जेजे एक्ट के अनुसार किया जा सकता है और तत्काल मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण भी उसी तरीके से किया जा सकता है।

29. मनोज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, **MANU/SC/**0189/ 2022, के मामले में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के बारे में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> 11. आदर्श शिक्षा सदन, पिन्ना के प्रधान शिक्षक उमेश कुमार की जांच से विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र **Ex A**-3 साबित हुआ है। गवाह के बयान के अनुसार, स्कूल वर्ष 1999 में ग्राम खीरी, दुदाधारी में संचालित हो रहा था और वर्ष 2009-10 में ग्राम पिन्ना में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे वर्ष 2000 से मुख्य शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता 12.07.1999 से 02.07.2003 तक ऐसे स्कूल का छात्र था। प्रतिपरीक्षा में वह स्वीकार करता है कि वह एक निजी विद्यालय है और अपीलकर्ता के पिता ने अपीलकर्ता के प्रथम श्रेणी में शामिल होने के कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलकर्ता को सीधे दूसरी कक्षा में प्रवेश दिया गया था । वह स्वीकार करता है कि प्रदर्श ए-1, प्रवेश पत्र, उसकी लिखावट में तैयार की गई एक खुली शीट है और उस पर किसी भी उच्च अधिकारी का कोई प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। उसने स्कूल के शिक्षा विभाग में पंजीयन का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है।
>
> 12. उसके द्वारा तथाकथित एडमिशन फॉर्म वर्ष 1999 में भरा गया था, इसी प्रकार वर्ष 2003 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी भरा गया था। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि यह आदर्श शिक्षा सदन

ग्राम खेरी, दूधाधारी, के प्रधानाचार्य द्वारा 29.09.14 को जारी किया गया था। यद्यपि विद्यालय वर्ष 2009-2010 में ग्राम पिन्ना में स्थानांतरित हो गया था। यह अस्पष्ट और आश्चर्यजनक है कि एक विशेष स्कूल द्वारा प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जा सकता है जिसे दूसरे गांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है।

13. दूसरी ओर, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र **Ex R**-1, जिसमें कहा गया है कि आदर्श शिक्षा सदन के नाम से गांव खीरी, दूधाधारी में कोई स्कूल नहीं है। यह प्रमाण पत्र प्राथमिक विद्यालय खीरी के कनिष्कवीर सिंह ने जारी किया है।

14. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय ने ऐसे प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं किया है। हम पाते हैं कि इस तरह का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अविश्वसनीय है और यह कि प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष किशोरता साबित करने के लिए केवल एक दस्तावेज है।"

30. हाल ही में ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, मनु/एससी/1081/2021, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिंदु के कानून पर चर्चा की और आयु के निर्धारण के संबंध में सिद्धांतों को निम्नानुसार निकाला:-

"29. उपरोक्त श्रेणी के निर्णयों के संचयी विचार पर जो दर्शित होता है वह इस प्रकार है:-

(i) मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी आपराधिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है। किशोर होने का दावा करने में देरी, इस तरह के दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार भी

उठाया जा सकता है।

(ii) नाबालिग होने का दावा करने वाला आवेदन या तो न्यायालय या जेजे बोर्ड के समक्ष किया जा सकता है।

(ii क) जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोरता का मुद्दा उठता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धारा(2) और (3) के तहत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक समिति या जेजे बोर्ड, धारा के समक्ष लाया जाता है तो जेजे एक्ट, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

(ii ख) यदि न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा(2) के प्रावधान को लागू करना होगा या धारा 9 की उप-धारा(2) के साथ पढ़ना होगा। ताकि व्यक्ति की उम्र के बारे में जितना हो सके बताते हुए निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य मांगा जा सके।

(ii ग) जब किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत जेजे बोर्ड के समक्ष किशोर होने का दावा करने वाला एक आवेदन किया जाता है, और कथित अपराध से संबंधित मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो जेजे अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत अपेक्षित प्रक्रिया लागू होगी। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो बोर्ड साक्ष्य मांग कर उम्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई उम्र को सही उम्र माना जाएगा। इसलिए जेजे बोर्ड के समक्ष सिद्ध करने की डिग्री, जब किशोरता की मांग के लिए आवेदन उस संबंधित फौजदारी न्यायालय में किया जाता है जहां विचारण लंबित हो, से अधिक होता है जबकि

जहां अपराध के घटित होने के संबंध में जांच लंबित हो (जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 9)

(iii) जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो प्रारंभिक दायित्व के निर्वहन के लिए न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए दावा करता है। हालांकि, जेजे अधिनियम, 2000 या जेजे अधिनियम, 2015, की धारा 94 की उप-धारा (2) के तहत बनाए गए जेजे नियम 2007 के नियम 12(3)(ए)(**i**), (**ii**), और (**iii**) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

(iv) उक्त उपधारणा किशोरता की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विरोधाभासी साक्ष्य द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है।

(v) यह कि जब मामला संबंधित फौजदारी न्यायालय के समक्ष लंबित है तो न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया वही नहीं है जो व्यक्ति की उम्र को किशोर घोषित करने के लिए जेजे बोर्ड के समक्ष मांगी गई थी । एक जांच के मामले में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालता है लेकिन जब अधिनियम 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के अनुसार आयु का निर्धारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। साथ ही जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई उम्र को उसके सामने लाए गए व्यक्ति की सही उम्र माना जाएगा । जहां किसी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण और घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जानी होती है और केवल तभी स्वीकार की जाती है जब वह स्वीकार करने योग्य होती है वहां जांच में सबूत का मानक एक कार्यवाही में आवश्यकता से भिन्न होता है

(vi) यह कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। यह रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर और प्रत्येक मामले में पक्षकारों द्वारा दिए गए सबूतों की सराहना के आधार पर होना चाहिए।

(vii) इस न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में कि वह किशोर था, साक्ष्य प्रस्तुत करते समय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

(viii) यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो नजदीकी मामलों में न्यायालय को अभियुक्त को किशोर रखने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों पर लागू हो। साथ ही न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग नहीं किया जाए।

(ix) यह कि जब उम्र का निर्धारण स्कूल के रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार उस पर विचार किया जाए, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज, आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होगा ।

(x) कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र न्यायालय या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और

प्रामाणिक हो।

(xi) ऑसिफिकेशन टेस्ट आयु निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में एक यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं, बल्कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में विचार करने के लिए केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।"

31. इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 35 का संदर्भ दिया जा सकता है, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रासंगिकता के संबंध में प्रावधान करता है। यह इस प्रकार है:-

"35. कर्तव्य के पालन में किए गए सार्वजनिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की सुसंगति -किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।"

32. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि लोक सेवक द्वारा लोक या अन्य शासकीय बही में प्रविष्टि की जाती है।

33. जबर सिंह बनाम दिनेश और अन्य (2010) 3 एससीसी 757 के मामले में जीसस मैरी पब्लिक स्कूल के स्कूल रिकॉर्ड और अन्य

दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन निगरानी में, उच्च न्यायालय ने एडमिशन फॉर्म, स्कूल रिकॉर्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आदि के आधार पर परीक्षण न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इस पृष्ठभूमि में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा कि- "विपक्षी 1 की जन्मतिथि की प्रविष्टि एडमिशन फॉर्म, स्कूल के रिकॉर्ड और स्थानांतरण प्रमाण पत्र में साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती है" इसकी प्रविष्टि किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में नहीं थी और किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से देश के कानून द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य के निर्वहन में नहीं की गई थी और इसलिए कथित अपराध किए जाने के समय विपक्षी 1 की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रविष्टि प्रासंगिक नहीं थी ।"

34. सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2010) 8 एससीसी 714, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार पाया: -

> "28. इस प्रकार इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में अधिकृत एक अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य है लेकिन इसके संभावित मूल्य की जांच करने के संबंध में पार्टी न्यायालय/प्राधिकरण से पूछ सकती है। प्रविष्टि की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसके निर्देश/सूचना पर ऐसी प्रविष्टि दर्ज की गई थी और उसकी जानकारी का स्रोत क्या था। इस प्रकार, स्कूल रजिस्टर/प्रमाण पत्र में प्रविष्टि को कानून के अनुसार सिद्ध करने की आवश्यकता है इसके लिए सबूत का मानक किसी भी अन्य सिविल और आपराधिक मामले की तरह ही रहता है।"

35. जिस निजी स्कूल में पीड़िता कथित रूप से पढ़ती है, उसके प्रधानाध्यापक को लोक सेवक नहीं कहा जा सकता। इसलिए स्कूल

रजिस्टर में प्रविष्टियाँ जैसा कि पी.डब्ल्यू. 5 श्रीमती पुष्पा द्वारा सिद्ध किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के दायरे में नहीं हैं । वास्तव में **Ex- A**4, **A**5 और **A**6 को पी.डब्ल्यू. 5 श्रीमती पुष्पा द्वारा सिद्ध किया गया है, जो कि क्रमशः स्कॉलर रजिस्टर, स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रति और जन्म प्रमाण पत्र की तिथि हैं।

36. अगला प्रश्न जो चर्चा के लिए आता है वह यह है कि क्या स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज उम्र को पीड़िता की उम्र के लिए लिया जा सकता है?

37. अलामेलु और अन्य बनाम राज्य, (2011) 2 एससीसी 385 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि "स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति जिसने प्रवेश दिया हो या जिसने प्रवेश के समय जांच करके जन्म की तारीख दी हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

> "40. निस्संदेह स्थानांतरण प्रमाण पत्र, **Ext. P**-6 इंगित करता है कि लड़की की जन्म तिथि 15-6-1977 थी। इसलिए, उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तारीख यानी 31-7-1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक सरकारी स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है। इसलिए, यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा । हालाँकि, इस तरह के दस्तावेज़ की स्वीकार्यता उस सामग्री के अभाव में लड़की की उम्र साबित करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगी जिसके आधार पर उम्र दर्ज की गई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा, जब तक कि प्रविष्टि करने वाले या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की जाती है।"

38. पी.डब्ल्यू. 5 श्रीमती पुष्पा ने कहा है कि पीड़िता को उसके अभिभावक के शपथ पत्र के आधार पर उनके स्कूल में भर्ती कराया गया था। यह शपथपत्र रिकॉर्ड में नहीं है। जन्मतिथि 25.06.2021 लिखी गई है और पी.डब्ल्यू. 2 पीड़िता के पिता ने इस एडमिशन फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था, जो कि **Ex-A**5 है। पीड़िता के पिता पी.डब्ल्यू. 2 ने अपने परीक्षण की पहली पंक्ति में कहा है कि पीड़िता की जन्म तिथि 25.06.2001 है। 07.05.2018 को जिरह में जब उसके बच्चों के जन्म की तारीख के बारे में पूछा गया, तो पीड़िता के पिता पी.डब्ल्यू. 2 कोई तारीख नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किसी भी बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं है। उनके अनुसार उन्हें अपनी जन्मतिथि याद नहीं है। वह कहते है कि वह अनपढ़ है।

39. पीड़िता के भाई पी.डब्ल्यू. 3 ने कहा है कि उसकी बहन, पीड़िता कंपनी में काम करती थी। जिरह में भी पहले ही पैराग्राफ में वह अपने किसी भाई-बहन की जन्मतिथि नहीं बता सका।

40. पीड़िता की मां पी.डब्ल्यू. 4 ने हालांकि कहा है कि पीड़िता का जन्म वर्ष 2001 में हुआ था, लेकिन अपनी जिरह में वह खुद की जन्मतिथि और अपने बच्चों की जन्मतिथि नहीं बता सकी। उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पीड़िता का पहचान पत्र और आधार कार्ड बनाया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि वर्ष 2000 दर्ज है। पीड़िता के पिता पी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पीड़िता के पास उसका आधार कार्ड है।

41. कुछ बातें हैं जो सबूतों से निकली हैं। वे इस प्रकार हैं:

(i) स्कूल रजिस्टर ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आता हो और;

(ii) जिस स्कूल से रिकॉर्ड **Exs- A**4, **A**5 और **A**6 बनाए गये हैं, वह सरकारी स्कूल नहीं है।

(iii) पी.डब्ल्यू. 5 श्रीमती पुष्पा लोक सेवक नहीं है।

(iv) 25.06.2001 के रूप में दर्ज की गई जन्म तिथि किसी

भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

(**v**) प्रवेश फार्म **Ex-A**5 के आवेदन के अनुसार शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया गया। यह शपथपत्र सिद्ध नहीं है।

(**vi**) यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि पीडब्लू 2 पीड़िता के पिता को पीड़िता के जन्म की सही तारीख याद है, क्योंकि अगर उसे पीड़िता की जन्म तिथि याद थी, जब उसने उसे स्कूल में भर्ती कराया था, तो वह 07.05.2018 को न्यायालय में जिरह के दौरान जन्म तिथि का खुलासा कर देता। जिरह के समय उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किसी भी बच्चे की जन्मतिथि याद नहीं है। पीड़िता की मां और पीड़िता का भाई, पीड़िता की जन्म तिथि का खुलासा नहीं कर सके।

42. गवाहों द्वारा यह कहा गया है कि पीड़िता कंपनी में काम कर रही थी। अपना घर छोड़ देने के बाद वह पिछले दो साल से काम कर रही थी । पीड़िता ने बताया है कि उसकी जन्म तिथि वर्ष 1996 है।

43. इस न्यायालय का विचार है कि, वास्तव में, पीड़िता की उम्र के समर्थन में दायर किया गया स्कूल रिकॉर्ड पीड़िता की उम्र को साबित नहीं करता है। कोई अन्य प्रमाण नहीं है। वास्तव में, पीड़िता के जन्म की तारीख के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं है।

44. दूसरी ओर पी.डब्ल्यू. 1 ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी, जब उसने अपना घर छोड़ा था। वह बालिग थी। इसे देखते हुए इस न्यायालय का मानना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि 13.06.2016 को जब पीड़िता ने अपना घर छोड़ा, तब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। पीड़िता ने अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ा था ।

45. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने में सक्षम नहीं रहा है और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

46. अपील स्वीकार की जाती है।

47. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 95/2017, राज्य बनाम. जॉनी में, एफ.टी.सी./अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, हरिद्वार, जिला हरिद्वार के न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2020/09.01.2020, को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

48. अपीलकर्ता को **IPC** की धारा 363, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (**a**)/4, 5(**j**)(**ii**)/6 के अंतर्गत आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

49. अपीलकर्ता जेल में है। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संहिता की धारा 437 ए के तहत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करे।

50. इस निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अनुपालन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ प्रेषित की जाए।

(रविन्द्र मैठानी, जे.)

25.03.2022

(आयशा फरहीन)

द्वितीय अपर सिविल जज नैनीताल,

द्वारा अनुवादित ।